उत्तर प्रदेश सरकार,
चिकित्सा अनुभाग- 14,
संख्या- 8370 सेक-14/पांच-250/82
लखनऊ: दिनांक: ~~सितम्बर~~ 1 अक्टूबर, 1990

अधिसूचना (आदेश)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29 सन् 1974) द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10 सन् 1973) की धारा 1 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति और इस सम्बन्ध में अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के अभिनिर्णयों, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों तथा प्रदेश के समस्त राजकीय एलोपैथी मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेज में स्नातकोत्तर शिक्षा/ प्रशिक्षण में अपेक्षित सुधार हेतु गठित समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये प्रदेश के समस्त राजकीय एलोपैथी मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज एवं उससे सम्बद्ध डेन्टल कालेज तथा चिकित्सालय में प्रवेश को विनियमित करने के उद्देश्य से जूनियर रेजीडेंसी, सीनियर रेजीडेन्सी तथा डेन्टल रेजीडेन्सी योजना लागू किये जाने के आदेश देते हैं तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिये इनमें वर्तमान में उपलब्ध पदों को उनके समतुल्य पदों में परिवर्तन किये जाने तथा विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या को विनिर्दिष्ट किये जाने तथा उन पर चयन हेतु निम्नलिखित नीति और प्रक्रिया निर्धारित करते हैं :-

1- जूनियर रेजीडेन्सी योजना :-

(1) यह योजना समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर डिग्री (एम0डी0, एम0एस0) तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये होगी तथा इसका नाम तथा कार्यकाल निम्नवत् होगा :-

----2/-

पदनाम	कार्यकाल	वर्तमान पदों की समतुल्यता
जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष	एक वर्ष	वर्तमान हाउस आफिसर/डिमान्स्ट्रेटर, प्रथम वर्ष के समतुल्य ।
जूनियर रेजीडेन्ट द्वितीय वर्ष	एक वर्ष	वर्तमान एम0डी0/एम0एस0 प्रथम वर्ष/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा छात्र/जूनियर रेजीडेन्ट । आर0एम0ओ0 प्रथम वर्ष/आर0एस0ओ0 प्रथम वर्ष आर0जी0ओ0 प्रथम वर्ष/ डिमान्स्ट्रेटर द्वितीय वर्ष के समतुल्य ।
जूनियर रेजीडेन्ट तृतीय वर्ष	एक वर्ष	वर्तमान एम0डी0/एम0एस0 द्वितीय वर्ष/सीनियर रेजीडेन्ट/आर0एम0ओ0 द्वितीय वर्ष/आर0एस0 ओ0 द्वितीय वर्ष/आर0जी0ओ0 द्वितीय वर्ष/ डिमान्स्ट्रेटर तृतीय वर्ष/रजिस्ट्रार के समतुल्य ।

§2§ यह योजना । अगस्त, 1987 से लागू मानी जायेगी ।

§3§ इस योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम §एम0डी0/एम0 एस0 एस0§ हेतु चयनित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का कार्यकाल 3 वर्ष होगा जो एम0 डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम का भी कार्यकाल होगा । ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने कार्यकाल में क्रमशः जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष कहलायेंगे । स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु चयनित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का कुल कार्यकाल 2 वर्ष का होगा जो कि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का भी कार्यकाल होगा, ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने कार्यकाल के दौरान क्रमशः जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष कहलायेंगे ।

§4§ विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों में जूनियर रेजीडेन्ट की संख्या कालेजवार/ विभागवार संलग्नक-1 के अनुसार निम्नवत् होगी :-

जूनियर रेजीडेन्ट, प्रथम वर्ष	625
जूनियर रेजीडेन्ट, द्वितीय वर्ष	625
जूनियर रेजीडेन्ट, तृतीय वर्ष	500
कुल योग=	1750

§5§ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों एवं मानकों के अनुकूल इस संख्या में शासन द्वारा कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकेगी ।

---3/-

(6) इस जूनियर रेजीडेन्सी (1750) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वार विवरण निम्नवत् होगा :-

	प्रत्येक वर्ष	कार्यकाल	कुल संख्या
स्नातकोत्तर त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के छात्र	500	3 वर्ष	1500
स्नातकोत्तर द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्र	125	2 वर्ष	250
	योग=		1750

(7) उपरोक्त 1750 की संख्या के अतिरिक्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये 125 अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० संवर्ग से) शासन द्वारा नामित किये जायेंगे । इन नामित अभ्यर्थियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा तथा वे रेजीडेन्सी प्रणाली के तहत जूनियर रेजीडेन्ट, द्वितीय वर्ष कहलायेंगे ।

(8) उक्त रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के चयन/ पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(क) द्विवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में पंजीकरण तथा रेजीडेन्सी प्रवेश हेतु प्रति वर्ष एक प्रतियोगितात्मक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

(ख) यह परीक्षा एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के आधार पर वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव) प्रश्न-पत्र पर आधारित होगी ।

(ग) उक्त प्रवेश परीक्षा 25 प्रतिशत अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट सीटों को पृथक करने के उपरान्त शेष बची संस्थागत 75 प्रतिशत सीटों के लिए ही होगी । इन 75 प्रतिशत सीटों में संस्थागत वरीयता दी जायेगी अर्थात् अभ्यर्थी ने जिस विश्वविद्यालय से एम०बी०बी०एस० की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मेडिकल कालेज में उसे प्रवेश दिया जायेगा । राजकीय मेडिकल कालेजों में एक कालेज से दूसरे कालेज में स्थानान्तरित होने वाले अभ्यर्थी को उसी कालेज का संस्थागत छात्र माना जायेगा, जहाँ से उसने एम०बी०बी०एस० की अन्तिम दो प्रोफेशनल परीक्षायें उत्तीर्ण की हों ।

(घ) यह प्रवेश परीक्षा प्रति वर्ष शासन द्वारा नामित किसी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा करायी जायेगी ।

(ङ) यदि किसी अभ्यर्थी को किसी एक विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया तो वह किसी अन्य विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा। संदेहों के निवारण के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी एक विशेषज्ञता में

---4/-

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है तो उन्हें स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है ।

§च§ उक्त योजना के अन्तर्गत रेजीडेन्सी का कालेजों में विभागवार पंजीकरण मेरिट-कम-विकल्प के आधार पर किया जायेगा । उक्त मेरिट निर्धारण प्रतियोगितात्मक परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जायेगा ।

§9§ उक्त रेजीडेन्सी प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की अनिवार्य अर्हतायें निम्न प्रकार होंगी :-

§क§ केवल ऐसे अभ्यर्थी ही प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, जिन्होंने एम०बी०बी०एस० की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और रोटेटिंग इन्टर्नशिप ट्रेनिंग पूर्ण कर ली हो और स्थाई रूप से मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया अथवा स्टेट मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत हों । प्रतियोगितात्मक प्रवेश परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी प्रोविजनल रूप से सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्होंने एम०बी०बी०एस० परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो परन्तु यदि वे प्रस्तावित पाठ्यक्रम §शिक्षा सत्र§ के प्रारम्भ होने के पूर्व इन्टर्नशिप ट्रेनिंग पूर्ण नहीं कर पाते हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया अथवा स्टेट मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो उन्हें स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

§ख§ प्रवेश परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय अथवा मेडिकल कालेज के एम०बी०बी०एस० स्नातक हैं ।

§10§ उक्त रेजीडेन्सी योजना लागू होने पर दिनांक 1 अगस्त, 1987 से कार्यरत सभी हाउस आफीसर, जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष तथा इसी प्रकार अन्य कार्यरत सभी जूनियर डाक्टरों को रेजीडेन्सी में प्रस्तावित नये पदों पर निम्नानुसार परिवर्तित हो जायेंगे ।-

क्र०सं०	वर्तमान पदनाम	रेजीडेन्सी योजना लागू होने पर पदनाम
1-	हाउस आफीसर/डिमान्स्ट्रेटर प्रथम वर्ष	जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष
2-	जूनियर रेजीडेन्ट/आर०एम०ओ० प्रथम वर्ष/आर०एस०ओ० प्रथम वर्ष/आर०जी०ओ० प्रथम वर्ष/डिमान्स्ट्रेटर द्वितीय वर्ष/पी०जी० डिग्री छात्र प्रथम वर्ष/पी०जी० डिप्लोमा छात्र प्रथम वर्ष ।	जूनियर रेजीडेन्ट द्वितीय वर्ष
3-	सीनियर रेजीडेन्ट/आर०एम०ओ० द्वितीय वर्ष/आर०एस०ओ० द्वितीय वर्ष/आर०जी०ओ० द्वितीय वर्ष/डिमान्स्ट्रेटर तृतीय वर्ष/रजिस्ट्रार/स्नातकोत्तर §पी०जी०§ डिग्री छात्र द्वितीय वर्ष	जूनियर रेजीडेन्ट तृतीय वर्ष

§1§ उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी जूनियर रेजी... अनुमन्य पारिलब्धियाँ और सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अलग से शासनादेश द्वारा विनियमित की जायेंगी ।

2- डेन्टल रेजीडेन्सी योजना:-

§1§ यह योजना राजकीय मेडिकल कालेजों के अनुरूप ही के0जी0 मेडिकल कालेज से सम्बद्ध डेन्टल कालेज एवं चिकित्सालय में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम §एम0डी0एस0§ के लिये होगी तथा इसका कार्यकाल निम्नवत् होगा :-

क्र0सं0	पदनाम	कार्यकाल	वर्तमान पदों से समतुल्यता
1-	जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष §रोटेटरी§	छः माह	वर्तमान हाउस जॉब के समतुल्य
2-	जूनियर रेजीडेन्ट द्वितीय वर्ष	एक वर्ष	वर्तमान एम0डी0एस0 प्रथम वर्ष के समतुल्य ।
3-	जूनियर रेजीडेन्ट तृतीय वर्ष	एक वर्ष	वर्तमान एम0डी0एस0 द्वितीय वर्ष के समतुल्य ।

डेन्टल रेजीडेन्सी के अन्तर्गत चयनित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का कुल कार्यकाल ढ़ाई §2,1/2§ वर्ष होगा जो कि एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम का भी कार्यकाल होगा ।

§2§ एक समय में प्रत्येक श्रेणी के जूनियर रेजीडेन्ट्स की संख्या-24 होगी । भारत सरकार द्वारा नामित अभ्यर्थी उक्त 24 की संख्या में सम्मिलित नहीं होंगे तथा इन नामित अभ्यर्थियों का वित्तीय भार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा । इन 24 रेजीडेन्ट्स का विभागवार वितरण निम्नवत् होगा:-

विभाग	रेजीडेन्ट्स की संख्या
§क§ प्रास्थोडान्टिक्स	12
§ख§ आर्थोडान्टिक्स	12
§ग§ पीडोडान्टिक्स	12
§घ§ पेरियोडान्टिक्स	12
§च§ आपरेटिव डेन्टिस्ट्री	12
§छ§ ओरल एण्ड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	12
कुल योग=	72

§3§ डेन्टल रेजीडेन्ट्स के चयन पंजीकरण का प्रारूप मूलतः मेडिकल रेजीडेन्ट्स के अनुरूप ही होगा जो कि निम्नवत् है :-

§क§ ढाई वर्षीय डेन्टल रेजीडेन्सी के अन्तर्गत ...

मेडिकल रेजीडेन्सी के अनुरूप एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर [illegible] जायेगा।

(ख) यह परीक्षा बी०डी०एस० पाठ्यक्रम के अनुसार वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव) प्रश्न पत्र पर आधारित होगी।

(ग) उक्त प्रवेश परीक्षा 25 प्रतिशत अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित सीटों को पृथक करने के उपरान्त बचे शेष 75 प्रतिशत सीटों के लिये ही होगी।

(घ) डेन्टल रेजीडेन्सी प्रवेश परीक्षा हेतु अनिवार्य अर्हतायें निम्न प्रकार होंगी :-

एक- उपर्युक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की अनिवार्य न्यूनतम अर्हता बी०डी०एस० होगी। (इस प्रवेश परीक्षा में वे अभ्यर्थी भी प्रोविजनल रूप से सम्मिलित हो सकेंगे जो कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम (शैक्षिक सत्र) के प्रारम्भ होने से पूर्व उपर्युक्त अर्हता प्राप्त कर लेने की आशा रखते हों।

दो- प्रवेश परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने बी०डी०एस० की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो।

तीन- प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मेडिकल रेजीडेन्सी के अनुरूप ही डेन्टल रेजीडेन्सी में भी कोई प्रतिबन्ध, जैसे बी०डी०एस० परीक्षा के न्यूनतम अंकों की सीमा (सप्लीमेन्ट्री वार या अटेम्प्टवार) इत्यादि, लागू नहीं होगा।

(ङ) यह प्रवेश परीक्षा मेडिकल रेजीडेन्सी के अनुरूप ही शासन द्वारा नामित विश्वविद्यालय / संस्था द्वारा कराई जायेगी।

(च) डेन्टल रेजीडेन्ट्स का चयन तथा विभागवार वितरण मेरिट कम विकल्प के आधार पर होगा। उक्त मेरिट का निर्धारण प्रतियोगितात्मक परीक्षा के अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा।

(छ) डेन्टल रेजीडेन्सी योजना लागू होने पर डेन्टल कालेज के जूनियर डाक्टरों को रेजीडेन्सी में परिवर्तन मेडिकल जूनियर रेजीडेन्सी की भाँति कर दिया जायेगा।

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत डेन्टल रेजीडेन्ट्स को मेडिकल जूनियर रेजीडेन्ट्स को अनुमन्य परिलब्धियों के समान ही परिलब्धियाँ अनुमन्य होंगी।

(5) डेन्टल रेजीडेन्ट्स की प्रवेश विषयक अन्य बातें, सेवा शर्तें, अवकाश, आवास, तथा अन्य सुविधायें मेडिकल रेजीडेन्ट्स के अनुरूप ही होंगी।

(6) उक्त डेन्टल रेजीडेन्सी योजना को मेडिकल रेजीडेन्सी योजना के अनुरूप 1.8.87 से लागू माना जायेगा ।

3- सीनियर रेजीडेन्सी योजना :-

(क) यह योजना राजकीय मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेज में मरीजों के उपचार तथा उन्हें दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा एवं स्नातकोत्तर छात्रों के प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु सभी राजकीय मेडिकल कालेजों तथा डेंटल कालेज में लागू होगी । सीनियर रेजीडेंस निम्नलिखित दो प्रकार के होंगे :-

(क) एक तो वे सीनियर रेजीडेन्ट्स जो सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों (डी०एम०/एम०सी०एच०) में अध्ययन हेतु पंजीकृत होंगे ।

(ख) दूसरे वे सीनियर रेजीडेन्ट्स जो किसी पाठ्यक्रम में पंजीकृत न होंगे और केवल चिकित्सालयों में मरीजों की चिकित्सा एवं उपचार करने तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से (एम०डी०/एम०एस०/एम०डी०एस० डिग्री अथवा डी०एम०/एम०सी०एच० डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त नियुक्त किये जायेंगे ।

(2) सीनियर रेजीडेन्ट्स का कार्यकाल तथा नामकरण निम्न प्रकार होगा:-

(क) सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में पंजीकृत सीनियर रेजीडेन्ट्स का कार्य-काल दो वर्ष का होगा तथा न्यूरो सर्जरी में उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसमें वे क्रमशः सीनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष कहलायेंगे ।

(ख) बिना सुपर स्पेशलिटी में पंजीकृत सीनियर रेजीडेन्ट्स का कार्यकाल केवल एक वर्ष का होगा । जिनका नामकरण निम्न प्रकार होगा :-

1- जिन विभागों में सुपर- स्पेशलिटी पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है, उन्हें सीनियर रेजीडेन्ट्स प्रथम वर्ष कहा जायेगा ।

2- सुपर स्पेशलिटी करने के उपरान्त नियुक्त होने पर उन्हें सीनियर रेजीडेन्ट्स तृतीय वर्ष कहा जायेगा ।

(3) समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेन्ट्स की संख्या कालेजवार/ विभागवार । संलग्न एनेक्जर-II के अनुसार निम्नवत् होगी :-

---8/-

सीनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष	92
सीनियर रेजीडेन्ट द्वितीय वर्ष	20
सीनियर रेजीडेन्ट तृतीय वर्ष	8
कुल योग=	120

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ से सम्बन्धित डेन्टल कालेज में सीनियर रेजीडेन्ट्स की कुल संख्या- 6 होगी तथा यह सभी सीनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष होंगे । इस प्रकार राजकीय मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेज में सीनियर रेजीडेन्ट्स की कुल संख्या- 126 होगी ।

(4) उक्त रेजीडेन्सी योजना लागू होने पर कार्यरत जूनियर डाक्टरों को रेजीडेन्सी में प्रस्तावित योजना में निम्नानुसार परिवर्तित कर दिया जायेगा ।-

क्र0सं0	वर्तमान पदनाम	रेजीडेन्सी योजना लागू होने पर पदनाम
1-	चीफ रेजीडेन्ट/जूनियर रेजीडेन्ट सुपर स्पेशलिटी/डी0एम0/एम0सी0एच0 प्रथम वर्ष छात्र सीनियर डिमान्स्ट्रेटर (डेन्टल)	सीनियर रेजीडेन्ट, प्रथम वर्ष
2-	डी0एम0/एम0सी0एच0 द्वितीय वर्ष छात्र/सीनियर रेजीडेन्ट सुपर स्पेशलिटी	सीनियर रेजीडेन्ट, द्वितीय वर्ष
3-	चीफ रेजीडेन्ट सुपर स्पेशलिटी/एम0सी0एच0 (न्यूरो सर्जरी) तृतीय वर्ष छात्र ।	सीनियर रेजीडेन्ट, तृतीय वर्ष

(5) उक्त योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के लिये चयन/ पंजीकरण प्रक्रिया निम्न प्रकार होगा :-

(क) सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों (डी0एम0/ एम0सी0 एच0) में पंजीकृत होने वाले सीनियर रेजीडेन्ट्स का चयन एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा । यह प्रतियोगितात्मक परीक्षा अखिल भारतीय स्तर की होगी और चयन मेरिट क्रम - विकल्प के आधार पर किया जायेगा । मेरिट, प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आंका जायेगा ।

तथा जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक इन पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों [illegible] पंजीकरण का आधार मेरिट क्रम विकल्प होगा । इस उद्देश्य हेतु [illegible] आधार माना जायेगा जिसके आधार पर उस अभ्यर्थी ने एम0डी0/एम0एस0 {त्रिवर्षीय जूनियर रेजीडेन्सी} से प्राप्त किया था ।

{6} उक्त योजना के अन्तर्गत सीनियर रेजीडेन्ट्स की परिलब्धियाँ और सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अलग आदेशों से विनियमित की जायेंगी ।

{7} उक्त सीनियर रेजीडेन्सी योजना 1.8.87 से लागू मानी जायेगी ।

4- उपरोक्त तीनों योजनाओं का क्रियान्वयन " स्नातकोत्तर प्रवेश समिति " करेगी जिसमें निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ उसके अध्यक्ष होंगे और उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट संयुक्त/अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा सम्बन्धित कालेज के प्राचार्य सदस्य होंगे । यह समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी । भारतीय आयुर्विज्ञान ~~संस्थान~~ परिषद के मानकों एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु उपलब्ध प्राध्यापकों की संख्या, प्रशिक्षण, बिस्तरों की संख्या- के अनुरूप विभिन्न विभागों के लिये सीटों में वृद्धि या कमी की अनुशंसा भी शासन को करेगी ।

5- सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में कोई आरक्षण अथवा संस्थागत्त वरीयता अनुमन्य नहीं होगी अन्य कोर्सेज में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण आवश्यकतानुसार राज्य सरकार अलग से शासनादेश जारी कर सकेगी ।

6- जूनियर रेजीडेन्सी योजना, डेन्टल रेजीडेंसी योजना एवं सीनियर रेसीडेंसी योजना के अन्तर्गत भविष्य में आवश्यक अतिरिक्त पद वित्त विभाग की सहमति से ही सृजित किये जायेंगे । जूनियर रेजीडेन्ट्स, जूनियर/ सीनियर रेजीडेन्ट्स {डेन्टल} एवं सीनियर रेजीडेन्ट्स के कर्तव्यों और दायित्वों के सम्बंध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे ।

----10/-

---4/-

जूनियर रेजीडेन्स व सीनियर रेजीडेंट्स की जो संख्या कालेजवार एवं विभागवार संलग्नक-1 व II में दी गई है उसमें कोई परिवर्तन या स्थानान्तरण निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, या कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

8- जूनियर डाक्टरों के पदों परिवर्तन/समायोजन के पश्चात् जूनियर रेजीडेन्ट्स/जूनियर/सीनियर रेजीडेंट्स (डेंटल) व सीनियर रेजीडेंट्स की संख्या में रेजीडेंसी योजनान्तर्गत जो वृद्धि/कमी हुयी है वह नवीन शैक्षिक सत्र से लागू होगी।

9- अधिसूचना संख्या 8147सेक-14/पांच-250/82, दिनांक 15 दिसम्बर, 1982, दिनांक 22 अगस्त, 1989 से इस अधिसूचना द्वारा अवक्रमित समझी जायेगी और इस संबंध में उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, , की धारा 6 और 24 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे व राज्य के किसी अधिनियम के संबंध में लागू होते हैं।

10- योजना को क्रियान्वित करने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किये जा सकेंगे।

11- यह अधिसूचना अगस्त, 1989 से लागू समझी जायेगी।

(एस0पी0आर्य)
सचिव।

संख्या 8390 (1)/सेक-14/पांच-250/82, तद्दिनांक 9-10-90

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को असाधारण राजपत्र के भाग-2, खण्ड (ख) में मुद्रणार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 1000-1000 प्रतियां शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,
(हरीश चन्द्र अग्रवाल)
अनु सचिव।

संख्या 8390 (2)/सेक-14/पांच-250/82, तद्दिनांक 9-10-90

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/आगरा/मेरठ/झांसी/गोरखपुर।

2- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

--11/=

3- राजस्टार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/आगरा/मेरठ/झांसी/गोरखपुर ।

4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा/झांसी/गोरखपुर ।

5- वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कालेज, लखनऊ/कानपुर/मेरठ/इलाहाबाद/आगरा/झांसी/गोरखपुर

6- उप प्रधानाचार्य, डेंटल कालेज, लखनऊ ।

7- डीन फैकल्टी आफ डेंटल साइंसेज, के0जी0मेडिकल कालेज, लखनऊ ।

8- वित्त॥व्यय नियंत्रण॥ अनुभाग-3

9- गोपन अनुभाग-1

आज्ञा से,

॥हरीश चन्द्र अग्रवाल॥
अनु सचिव ।

योग: एस०आर०प्रथम वर्ष =92+6 (डेन्टल कालेज, लखनऊ में)
एस०आर०द्वितीय वर्ष =20
एस०आर०तृतीय वर्ष = 8

योग =120+6 (डेन्टल कालेज तथा अस्पताल)

सीनियर रेजीडेन्ट्स का विवरण (वितरण) डेन्टल फेकल्टी, के०जी०मेडिकल कालेज, लखनऊ में :

विभाग	सीनियर रेजीडेंट्स के पदों की संख्या
1-प्रोस्थोडान्टिक्स	1
2-आर्थोडान्टिक्स	1
3-पीडियोडान्टिक्स	1
4- पीरियोडान्टिक्स	1
5-आपरेटिव डेन्ट्रीस्ट्री	1
6-ओरल एण्ड मैक्सीलोफेशियल	1
योग	6

(एस०पी०अग्रवाल)
सचिव, चिकित्सा शिक्षा

अधिसूचना संख्या 8396 सेक-14/पांच-250/82, दिनांक 9 अक्टूबर ~~सितम्बर~~, 90 का संलग्नक

राज्य मेडिकल कालेजों के डिग्री/डिप्लोमा सीट्स का विवरण

क्रमांक/विषय	गोरखपुर डिग्री	गोरखपुर डिप्लो0	झांसी डिग्री	झांसी डिप्लो0	मेरठ डिग्री	मेरठ डिप्लो0	आगरा डिग्री	आगरा डिप्लो0	इलाहाबाद डिग्री	इलाहाबाद डिप्लो0	कानपुर डिग्री	कानपुर डिप्लो0	लखनऊ डिग्री	लखनऊ डिप्लो0
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1—मेडिसिन	6	..	7	[illegible]	[illegible]	..	14	..	10	..	18	..	15	..
2—सर्जरी	7	..	6	[illegible]	[illegible]	..	11	..	11	..	15	..	15	..
3—गायनाकोलाजी	6	5	5	3	6	3	6	6	7	6	10	7	9	10
4—आर्थोपिडिक	3	3	3	3	3	3	5	2	3	3	6	3	6	6
5—पिडियाट्रीक	3	3	6	3	6	3	7	6	3	5	6	7	9	10
6—आफ्थालमोलाजी	3	..	3	..	5	1	5	..	3	..	5	..	6	..
7—रेडियोथेरेपी	1	..	1	..	1	..	2	..	1	..	2	..	2	..
8—रेडियोडाइग्नोसिस	2	..	1	..	1	1	2	..	1	..	2	..	3	..
9—एनास्थीसिया	3	1	3	..	3	1	7	..	5	..	2	2	7	..
10—ई0एन0टी0	..	..	1	2	..	3	..	2	3	..	2	..	5	..
11—टी0बी0एण्ड चेस्ट डिसीज	..	..	..	1	..	..	2	1	2	..	3	..	5	..
12—स्किन तथा वेनरल डिसीज	3	..	..	..	1	2	2	1	..	..	5	..	..	..
13—साइकियाट्री	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	6	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	14-पैथालाजी	3	-	3	-	3	-	7	-	5	-	6	-	7	-
	15-माइक्रोबाइलाजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	16-एस०पी०एम०	2	-	2	-	3	-	3	-	2	-	2	-	3	-
	17-फार्माकोलाजी	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-
	18-फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-
	19-एनाटॉमी	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-
	20-बायोकेमेस्ट्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21-फिजियोलाजी	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-
	22-ड्रिप-कार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	सर्वयोग	45	12	44	12	57	17	82	18	63	14	97	25	112	27

कुल डिग्री सीटें 500 जेआर I 500
जेआर II 500
जेआर III500

कुल डिप्लोमा सीटें125 जेआर I 125
जेoआर II125

कुल पोस्ट ग्रेजुएट 625

कुल योग जेआर प्रथम वर्ष 625
कुल योग जेआर द्वितीय वर्ष 625
कुल योग जेआर तृतीय वर्ष 500

सम्पूर्ण योग 1750 प्रत्येक वर्ष।

ह० ...
सचिव।

शासनादेश संख्या– 83:90 सेक–14/पांच–2507/82Z, दिनांक– 9 अक्टूबर ~~सितम्बर~~ 1990 का संलग्नक

क्रम सं0	विषय	लखनऊ	कानपुर	आगरा	इलाहाबाद	मेरठ	झांसी	गोरखपुर
1	2	3	4	5	6	7	8	
1–	न्यूरोसर्जरी	3+3+3=9	—	—	—	—	—	—
2–	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	1+1+1=3	2+2=4	—	—	—	—	—
3–	प्लास्टिक सर्जरी	3+3+1=7	—	—	—	—	—	—
4–	कार्डियोलाजी	4+4+2=10	4+4=8	—	—	—	—	—
5–	न्यूरोलाजी	3+3+1=7	—	—	—	—	—	—
6–	मेडिसीन	5	3	2	1	1	1	1
7–	सर्जरी	5	3	2	1	1	1	1
8–	गाइनोकोलाजी तथा आब्स0	2	1	1	1	1	1	1
9–	पीडियाट्रिक	2	1	1	1	1	1	1
10–	आर्थोपेडिक	2	1	1	1	1	1	1
11–	आपथालमोलाजी	2	1	1	1	1	1	1
12–	टी0बी0एण्ड चेस्ट	2	1	55	55	55	—	—
13–	ई0एन0टी0	1		—	1	—	—	—
14–	एनेस्थिसिया	2	—	—	—	—	—	—
15–	रेडियो डायगनोसिस	1	—	—	—	—	—	—
16–	रेडियोथेरेपी	1	—	—	—	—	—	—
17–	साइक्याट्री	2	—	—	—	—	—	—
	योग	63	24	8	7	6	6	6

संख्या-6522 सेक-14/पांच-138/87

प्रेषक,

कु0 वृन्दा सरूप,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग- 14 लखनऊ: दिनांक: 8 नवम्बर, 1989

विषय:- प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेज में लागू जूनियर रेजीडेन्सी, सीनियर रेजीडेन्सी तथा डेन्टल रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत कार्यरत जूनियर रेजीडेन्ट्स तथा सीनियर रेजीडेन्ट को केन्द्र सरकार के मेडिकल कालेजों में कार्यरत जूनियर रेजीडेन्ट तथा सीनियर रेजीडेन्ट की परिलब्धियां (छात्र वेतन) की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-4215 सेक-14/पांच-30/87, दिनांक 22 अगस्त, 1989 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या-डी0एम0ई0/रेजीडेन्सी-1031, दिनांक 14 सितम्बर, 1989 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय दिनांक 1.8.87 से प्रदेश के समस्त एलोपैथिक मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेज, लखनऊ में लागू रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत कार्यरत जूनियर रेजीडेन्टस तथा सीनियर रेजीडेन्ट को केन्द्र सरकार के मेडिकल कालेजों के सीनियर एवम् जूनियर रेजीडेन्ट की भांति (छात्र वेतन), संलग्नक के स्तम्भ-3 के अनुसार, स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जूनियर रेजीडेन्ट/सीनियर रेजीडेन्ट को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता उन्हीं दरों तथा शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा जिन दरों व शर्तों के अधीन वे अनेक राज्य कर्मचारियों को देय हैं ।

---2/-

3- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-1565-दस/89, दिनांक 7 नवम्बर, 1989 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- उपर्युक्तानुसार,।

भवदीया,

(हस्ताक्षर) 8.11.89

(वृन्दा सरूप)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 6522 (1) / सेक-14/पांच-89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/ कानपुर/ इलाहाबाद/ आगरा/ मेरठ/ गोरखपुर/ झांसी।

3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2

5- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0 वित्त विभाग, सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) 8.11.89

(वृन्दा सरूप)
संयुक्त सचिव।

1	2	दिनांक 1.8.1987 से स्वीकृत छात्र वेतन/स्टाइपेण्ड बन्दी भत्ते के अंश को सम्मिलित करते हुए। रुपयों में।
		3
1-	जूनियर रेजीडेन्ट्स प्रथम वर्ष	2630/- प्रतिमास
2-	जूनियर रेजीडेन्ट्स द्वितीय वर्ष	2705 /- प्रतिमास
3-	जूनियर रेजीडेन्ट्स तृतीय वर्ष	2790/- प्रतिमास
	सीनियर रेजीडेन्ट्स	
4-	पी0 जी0 डिग्री के साथ प्रथम वर्ष	3150/- प्रतिमास
5-	पी0 जी0 डिग्री के साथ द्वितीय वर्ष	3250/- प्रतिमास
6-	पी0 जी0 डिग्री के साथ तृतीय वर्ष	3350/- प्रतिमास

(चन्द्र सेन)
संयुक्त सचिव।